**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

# IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

## Jamabandi Correction Revision No.- 05/2023

Ram Krishna Sharma ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 03.08.2023 | **आदेश**<br><br>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–489/2020–21 में दिनांक–01.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है।<br><br>उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इनके द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद सं0–234/2018 दायर करते हुए दावा किया गया कि मौजा–डहरिया, खाता सं0–793, खेसरा सं0–2083 एवं 2397, रकवा–0.37 डी0 विवादित भूमि राजेन्द्र प्रसाद की थी। विपक्षी का कथन है कि राजेन्द्र प्रसाद द्वारा उक्त भूमि उत्तरवादी के पिता मो0 फासी के पास मात्र 95/– रू0 में गैर निबंधित केवाला के माध्यम से बिक्री की गई। ये दखलकार होते हुए नामांतरण वाद सं0–47C/2006–07 द्वारा नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान करते चले आ रहे हैं। आवेदक का कथन है कि उक्त भूमि इनके पिता राजेन्द्र प्रसाद की है जो दखलकार रहते हुए भू–लगान भुगतान कर रहे थे। उनकी मृत्यु पश्चात् आवेदक द्वारा लगान दिया जा रहा है। हाल में जब ये भू–लगान भुगतान करने गये तब इन्हें बताया गया कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी विपक्षी सं0–02 के नाम दर्ज है। इनके द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0–234/2018 दायर किया गया जिसमें अंचल अधिकारी, कटिहार से प्रतिवेदन प्राप्त की गई। अपर समाहर्त्ता ने उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए उक्त वाद को स्वीकृत किया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार अपील सं0–489/2020–21 दायर किया गया जिसमें इनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत भूमि कभी भी हस्तांतरित नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा जाली दस्तावेजों के आधार पर अपने पक्ष में जमाबंदी दर्ज करायी गई है। अंचल कार्यालय में नामांतरण वाद सं0–47C/2006–07 दर्ज ही नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया। | |

Web Copy Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। विपक्षी द्वितीय पक्ष के गैर निबंधित दस्तावेज पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी का नामांतरण वाद सं0–47C/2006–07 पंजी में दर्ज<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>03.08.2023 | नहीं है। अंचल अधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन पर विश्वास किया जाना गलत है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ विपक्षी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। यह सही है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पिता राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के नाम दर्ज थी। राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उक्त भूमि के एकमात्र स्वामी रहते हुए मात्र 95/– रू0 में दिनांक–05.05.1966 को विपक्षी सं0–02 के पास बिक्री की गई। विपक्षी उस समय नाबालिग थे तथा इनके पिता मो0 फासी द्वारा उक्त राशि भुगतान करते हुए दखल प्राप्त की गई। निबंधन अधिनियम 1908 की धारा–18 के आलोक में 100/– रू0 से कम राशि का निबंधन होना अनिवार्य नहीं है। क्रय के पश्चात् विपक्षी के पिता द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाने लगा जिसकी जानकारी आवेदक को भी है। उनके पिता द्वारा कभी भी इसका विरोध नहीं किया गया। विपक्षी सं0–02 मो0 फारूख के बालिग होने पर इनके द्वारा नामांतरण वाद सं0–47C/2006–07 दायर किया गया जिसमें राजस्व कर्मचारी द्वारा दखल–कब्जे के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, कटिहार द्वारा नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रश्नगत भूमि पर क्रय के समय से ही इनके पिता एवं स्वर्गीय पिता के पश्चात् विपक्षी स्वयं लगातार दखल में आ रहे हैं। खेसरा सं0–2397 में कोई विवाद नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त खेसरा को अनावश्यक जोड़ा गया है। आवेदक ने इनके नामांतरण के खिलाफ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष कभी कोई अपील दायर नहीं किया है। आवेदक द्वारा सीधे अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0–234/2018 दायर किया गया जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा इनके पक्षों तथा तथ्यों पर बिना विचार किये कोविड–19 संक्रमण के दौरान दिनांक 04.07.2020 को इनके विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0–02 द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार अपील सं0–489/2020–21 दायर किया गया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए यह पाया कि अंचल अधिकारी, कटिहार के नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदक ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष क्यों नहीं अपील दायर किया? समाहर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी, कटिहार के नामांतरण आदेश एवं दर्ज जमाबंदी को नियमानुकूल पाते हुए दिनांक–01.04.2022 को इनके अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। यदि प्रस्तुत मामले में स्वत्व का कोई प्रश्न सन्निहित है तो आवेदक को सक्षम व्यवहार न्यायालय | |

Web Copy Not Official.

जाना चाहिए। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत उनके पिता राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा बिक्री नहीं की गई है और विपक्षी गैर निबंधित दस्तावेज के आधार पर दावा कर रहे हैं। निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, कटिहार के

क्रमशः

लगातार
03.08.2023

प्रतिवेदन में पाया है कि खाता सं0–793, खेसरा सं0–2083, रकवा–0.37 एकड़ भूमि विधिवत् दाखिल–खारिज होकर विपक्षी (मो0 फारूख) के पक्ष में जमाबंदी कायम है जिसे संदिग्ध जमाबंदी नहीं माना जा सकता है। समाहर्त्ता, कटिहार ने यह भी उल्लेख किया है कि अंचल अधिकारी के नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष अपील में जाना चाहिए। विपक्षी के पक्ष में धारित विक्रय संलेख यदि सही नहीं है तो इसका विचारण सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख समाहर्त्ता, कटिहार को वापस भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

Web Copy. Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Web Copy. Not Official.